रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 2019/चैत्र 8, 1941
No. 111] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 2019/CHAITRA 8, 1941

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 25 मार्च, 2019

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) विद्युत आपूर्ति कोड, विनियम, 2018

सं. जेईआरसी: **23/2018.**—विद्युत अधिनियम 2003 (2003 के अधिनियम संख्या 36) (बाद में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 50 के साथ धारा 181 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, और अन्य सभी शक्तियों को इस ओर से सक्षम करने में सक्षम बिजली की आपूर्ति से संबंधित अधिनियम के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी कानून, नियम, सांविधिक आदेश, संकल्प, स्पष्टीकरण, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग इस प्रकार "विद्युत आपूर्ति संहिता" विनियम, 2018, इसके बाद आपूर्ति कोड, 2018 कहा जाता है (26 नवम्बर, 2018 को अधिसूचित)।

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ**

   (1) यह विनियम गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2018 (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2019 कहलायेंगे।

   (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **विनियमन 5.135 विद्युत आपूर्ति कोड, 2018 अब से निम्नलिखित से बदला जाता है:**

जमा सुरक्षा राशि पर ब्याज

5.135 लाइसेंसधारक वर्ष के लिए 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंक दर पर उपभोक्ता को ब्याज का भुगतान करेगा, जो उपभोक्ता की जमा सुरक्षा राशि पर सालाना देय होने पर, नए कनेक्शन के मामले में इस तरह की जमा राशि से प्रभावी रूप से देय होगा इस अधिसूचना या अन्य मामलों में, इस आपूर्ति संहिता, 2018 की अधिसूचना की तारीख से वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज उपभोक्ता के बिल में आने वाले वित्तीय वर्ष के पहले बिलिंग चक्र के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि सुरक्षा गारंटी बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाती है सावधि जमा के खिलाफ ग्रहणाधिकार प्रदान करके उपभोक्ता को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./589/18]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurugram, the 25th March, 2019

Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories) Electricity Supply Code, Regulations, 2018

No. JERC : 23/2018.—In exercise of the powers conferred under Section 181 read with Section 50, of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) (hereinafter referred to as 'the Act'), and all other powers enabling it in this behalf including sub-ordinate legislation, rules, statutory orders, resolutions, clarifications issued by the Government in terms of the Act relating to supply of electricity, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (UTs) made the "Electricity Supply Code" Regulations, 2018, hereinafter called the Supply Code, 2018. (Notified on 26th November, 2018)

1. **Short title and commencement**
   1. These Regulations may be called The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Electricity Supply Code) Regulations, 2018 (First Amendment) Regulations, 2019
   2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.

2. **Regulation 5.135 of Supply Code, 2018 is hereby replaced with the following:**

Interest on Security Deposit

5.135 *The Licensee shall pay interest to the consumer at the Bank Rate declared by the Reserve Bank of India prevailing on the 1st of April for the year, payable annually on the consumer's security deposit with effect from date of such deposit in case of new connections energized after the date of this notification, or in other cases, from the date of notification of this Supply Code, 2018. The interest accrued during the year shall be adjusted in the consumer's bill for the first billing cycle of the ensuing financial year. If the Security Deposit is submitted in the form of Bank Guarantee or by providing lien against fixed deposits, no interest shall be payable to the consumer.*

RAKESH KUMAR, Secy.

[Advt.-III/4/Exty./589/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.03.30 15:10:21 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-01072021-228064
CG-HR-E-01072021-228064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ़ 10, 1943
No. 265] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 25 जून, 2021

गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (विद्युत आपूर्ति संहिता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

सं. जेईआरसी: 23/2018.—धारा 50 के साथ पठित धारा 181 के तहत प्रदत्त शक्तियों, और इसके द्वारा प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पिछले प्रकाशन के बाद, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2018 (इसके बाद "मूल विनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ**

    1. इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (विद्युत आपूर्ति संहिता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग कहा जाएगा।

    2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन:**

मूल विनियम के विनियम 2 में निम्नलिखित परिभाषाओं में संशोधन किया/ जोड़ा जाएगा:

2.1 खंड 2.3(29) में: "भौतिक पृथक्करण" शब्दों के बाद और "उपयोगकर्ता या उपभोक्ता" के शब्द से पहले **"या रिमोट डिस्कनेशन"** शब्द *जोड़ा जाएगा।*

2.2 खंड 2.3(47) में: **"होगा"** शब्द को "जो" *शब्द के बाद* और "उपभोग की गई" शब्दों से पहले जोड़ा जाएगा।

2.3 खंड 2.3(52) में: **"किराएदार"** शब्द को "मालिक" *शब्द के बाद,* और "या व्यक्ति" शब्दों से पहले *जोड़ा जाएगा।*

2.4 खंड 2.3(63) में: तीसरी पंक्ति में "33 केवी" शब्द को **"11केवी"** *से प्रतिस्थापित किया* जाएगा।

2.5 मूल विनियमों के खंड 2.3(41) के बाद एक नया खंड नामत: 2.3(41क) *जोड़ा जाएगा:*

"2.3(41क) समझौते की प्रारंभिक अवधि" का अर्थ है एलटी आपूर्ति के मामले में छह महीने की अवधि, एचटी आपूर्ति के मामले में एक वर्ष और समझौते के अनुसार आपूर्ति शुरू होने की तारीख से शुरू होने वाली ईएचटी आपूर्ति के मामले में दो वर्ष। समझौते की प्रारंभिक अवधि बिलिंग चक्र के अंत तक जारी रहेगी, जिसमें छह महीने/ एक/ दो वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है।

3. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन:

3.1 मूल विनियमों के विनियम 4 के खंड (4.7) में, **"(25 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर)"** शब्दों को "20 कि.वाट और उससे अधिक की अनुबंधित मांग वाले उपभोक्ताओं" शब्दों के बाद और पहले पैरा की पहली पंक्ति में "को शंट कैपेसिटर" से पहले *जोड़ा जाएगा।*

3.2 मूल विनियमों के विनियम 4 के खंड (4.16) में, दूसरी पंक्ति, "हालांकि, उपभोक्ता स्वचालित 4 ध्रुव परिवर्तक और मैनुअल डबल लिंक स्विच परिवर्तक स्थापित करने के बाद ही जनरेटर, इन्वर्टर, सौर उत्पादन संयंत्र स्थापित कर सकता है" शब्दों को उत्पादन संयंत्र **को "उपभोक्ता 3-फेज वोल्टेज सप्लाई के लिए स्वचालित 4-पोल चेंजर और 1 फेज वोल्टेज सप्लाई के लिए 2-पोल चेंजर या 3 फेज वोल्टेज सप्लाई के लिए मैनुअल 4-पोल लिंक स्विच और स्वचालित 2 पोल चेंजर या 1 फेज वोल्टेज सप्लाई के लिए मैनुअल डबल लिंक स्विच चेंजर लगवाएगा जब कभी उपभोक्ता जनरेटर, इन्वर्टर, सौर उत्पादन संयंत्र की स्थापित करता है।**

4. मूल विनियमों के विनियम 5 में संशोधन:

4.1 मूल विनियमों के विनियम 5 के खंड (5.16) में, **"केवल"** शब्द "पर्यवेक्षण शुल्क" शब्दों के बाद और पहली पंक्ति में "श्रम घटक पर" शब्दों से पहले जोड़ा *जाएगा।*

4.2 खंड (5.16) में, **"सेवा कनेक्शन शुल्क को छोड़कर"** पंक्ति को "काम के श्रम घटक पर" शब्दों के बाद और दूसरी पंक्ति में "15% की दर से" शब्दों से पहले जोड़ा *जाएगा।*

4.3 मूल विनियमों के विनियम 5 के खंड (5.16) में, खंड के पहले वाक्य के बाद **"यदि उपभोक्ता ने सर्विस केबल/ डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स प्रदान किए हैं तो कोई सर्विस कनेक्शन शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा"** पंक्ति *जोड़ा जाएगा।*

4.4 मूल विनियमों के विनियम 5 के खंड (5.26) में, **"मोबाइल एप्लिकेशन"** शब्दों को "वेबसाइट" शब्द के बाद और दूसरी पंक्ति में "कॉल सेंटर" शब्दों से पहले जोड़ा *जाएगा।*

4.5 मूल विनियमों के विनियम 5 के खंड (5.49) में, **"दो महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, आवेदन को रद्द किया गया समझा जाएगा। रद्द किए गए आवेदन का पुनरुद्धार शुल्क (केवल एक बार) निर्धारित मांग नोटिस विस्तार शुल्क से दोगुना होगा और लोड मंजूरी प्राधिकरण द्वारा केवल दो महीने के लिए दिया जाएगा"** पंक्ति खंड के अंत में *जोड़ी जाएगी।*

4.6 खंड (5.56) में, **"शोरूम (दुकान सह कार्यालय एससीओ)"** शब्दों को "ग्रुप-हाउसिंग," शब्दों के बाद और पहली पंक्ति में "जैसे," शब्द से पहले जोड़ा *जाएगा।*

4.7 खंड (5.56) में, **"लाइसेंसधारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार"** शब्दों को "यदि किसी भी कनेक्शन का कनेक्टेड/ अनुबंधित लोड" के बाद, और "दूसरे पैरा की पहली पंक्ति में "100 से अधिक केवीए होने का अनुमान है" शब्दों से पहले *जोड़ा जाएगा।*

4.8 खंड (5.74) में, **"यदि कोई व्यक्ति, कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद, अपना आवेदन वापस ले लेता है या सप्लाई लेने से इनकार करता है, तो आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई हो, जब्त कर लिया जाएगा"** पंक्ति खंड के अंत में *जोड़ी जाएगी।*

4.9 खंड (5.79) में, **"(कानूनी उत्तराधिकारी और संपत्ति के खरीदार द्वारा नाम परिवर्तन के लिए आवेदक के अलावा)"** शब्दों को खंड की दूसरी पंक्ति में "व्यक्ति से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी)" शब्दों के बाद, और "जिसके नाम कनेक्शन" शब्दों से पहले जोड़ा जाएगा।

4.10 खंड (5.87) उप-खंड (1) में, **"पंजीकृत उपभोक्ता/ अधिकृत व्यक्ति/ परिसर के पिछले अधिवास से "कोई आपत्ति प्रमाण पत्र" आवेदक के नाम पर सुरक्षा जमा के हस्तांतरण से जुड़े मामलों के लिए आवश्यक नहीं होगा। लाइसेंसधारी इस आपूर्ति संहिता, 2018 के नियम 5.80 से 5.83 के अनुसार आवेदन पत्र को संसाधित करेगा"** पंक्ति को हटा दिया गया है।

4.11 खंड (5.87) उप-खंड (2) को **"पूर्ववर्ती उपभोक्ता के नाम पर सुरक्षा जमा आवेदक के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा और यदि उपभोक्ता उसी लोड को बनाए रखता है तो कोई अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि नहीं ली जाएगी।**

यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में, यदि संपत्ति कई मालिकों के नाम पर स्थानांतरित की जा रही है, तो कनेक्शन पहले मालिक के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा:

यदि कनेक्शन को दूसरे सह-मालिक के नाम पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया जाता है तो अन्य सह-मालिकों से एनओसी प्राप्त होने पर इसे स्वीकार किया जाएगा।

यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि संपत्ति के दो तक अन्य सह-मालिक बिजली कनेक्शन के लिए अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, तो वे नाम परिवर्तन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे" से *प्रतिस्थापित किया जाएगा।*

4.12 खंड 5.87 उप-खंड (3) में, **"में"** शब्द को हटा दिया *जाएगा* और "प्रभावी" शब्द को **"प्रभावित"** द्वारा *प्रतिस्थापित* किया जाएगा।

4.13 खंड 5.88 उप-खंड (2) में, पहली पंक्ति में, "और सुरक्षा जमा में कमी की गणना इस आपूर्ति संहिता, 2018 के अनुलग्नक XVIII में निर्दिष्ट है, यदि कोई भी आवेदक द्वारा देय होगा" *को हटा दिया जाएगा* और "और **यदि उपभोक्ता उसी लोड को बनाए रखता है तो कोई अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि नहीं ली जाएगी"** शब्दों *को जोड़ा जाएगा।*

4.14 खंड 5.88 उप-खंड (2) में, निम्नलिखित परंतुक *जोड़ा जाएगा* **"बशर्ते आगे यह कि ऐसे मामलों में, यदि संपत्ति कई मालिकों के नाम पर स्थानांतरित की गई है, तो कनेक्शन पहले मालिक के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा:**

यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि संपत्ति के दो तक अन्य सह-मालिक बिजली कनेक्शन के लिए अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, तो वे नाम परिवर्तन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे।"

4.15 खंड 5.89 में, निम्नलिखित परंतुक को "तालिका 5" के बाद *जोड़ा जाएगा,* **"बशर्ते कि यदि एचटी से एलटी तक सेवाओं के रूपांतरण के लिए मौजूदा उपकरणों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, तो उपभोक्ता इस संहिता के अनुसार आवश्यक शुल्क का भुगतान करेगा और कम लोड के लिए आवश्यक सुरक्षा जमा के बीच अंतर और पहले से जमा किए गए अगले 3 बिलिंग चक्रों के भीतर बिलों में समायोजित किया जाएगा।"**

4.16 खंड 5.107 को **"लोड में कमी के लिए आवेदन एचटी उपभोक्ताओं के लिए 1 (एक) वर्ष और ईएचटी कनेक्शनों के लिए मूल ऊर्जाकरण से 2 (दो) वर्ष के बाद, एलटी कनेक्शनों के लिए मूल ऊर्जाकरण से छह महीने के बाद ही स्वीकार किया जाएगा।"** *से प्रतिस्थापित किया जाएगा।*

4.17 खंड 5.122 को **"यदि कोई उपभोक्ता एचटी उपभोक्ताओं के लिए एक वर्ष और नई या अतिरिक्त आपूर्ति शुरू होने के ईएचटी कनेक्शन के लिए 2 वर्ष (या जहां कोई औपचारिक समझौता नहीं किया जाता है, यदि उपर्युक्त अवधि के लिए आपूर्ति का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि यदि कोई समझौता निविदा किया गया होता तो लागू होती), के बाद एलटी कनेक्शनों के लिए मूल ऊर्जाकरण से छह महीने के भीतर अपने समझौते को समाप्त कर देता है, तो उपभोक्ता उक्त अवधि से कम प्रत्येक महीने के लिए निश्चित/ न्यूनतम शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।"** *से प्रतिस्थापित किया जाएगा।"*

5. **मूल विनियमों के विनियम 6 में संशोधन:**

5.1 खंड (6.7) में, निम्नलिखित पंक्ति को वाक्य के अंत में जोड़ा जाएगा, **"और प्री-पेड मीटर होना श्रेयस्कर होगा। स्थापित प्री-पेड मीटर को सुरक्षा जमा राशि से छूट दी जाएगी, जबकि उसके लिए पर्याप्त अग्रिम भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।**

5.2 खंड (6.20) में, खंड के अंतिम वाक्य में, "स्टैंड-बाय मीटर रीडिंग" से पहले **"कैलिब्रेटेड चेक मीटर"** *जोड़ा जाएगा।*

5.3 खंड (6.39), *को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा*, **"लाइसेंसधारी परीक्षण की तारीख के 7 कार्य दिवसों के भीतर पावती के तहत प्राप्त होने वाली परीक्षण रिपोर्ट उपभोक्ता को भेजेगा। जब मीटर अनुमेय सीमा से धीमा पाया जाता है, जैसा कि निर्दिष्ट है और उपभोक्ता परीक्षण की सटीकता पर विवाद नहीं करता है, तो लाइसेंसधारी/ उपभोक्ता, जैसा भी मामला हो, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर खराब मीटर को बदलेगा/उसमें सुधार करेगा। उपभोक्ता सामान्य दरों पर मीटर में खराबी के कारण प्रतिशत त्रुटि के आधार पर, अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए या अंतिम परीक्षण की तारीख से, जो भी बाद में, परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर देय अंतर का भुगतान करेगा, जिसे बाद के बिल में समायोजित किया जाएगा या हिसाब में लिखा जाएगा।"**

6. मूल विनियमों के विनियम 7 में संशोधन:

6.1 खंड (7.2) में, अंतिम पंक्ति में, "छह" शब्द को **"बारह (12)"** *के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।*

6.2 खंड में (7.4), अंतिम पंक्ति में, संख्या "14" को **"सात (7) कार्यरत"** *के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा"*

6.3 खंड (7.6) में, अंतिम वाक्य के बाद निम्नलिखित पंक्ति को जोड़ा जाएगा, **"बशर्ते कि 60 दिनों से अधिक समय तक बिल की सेवा में देरी होने की स्थिति में, उपभोक्ता को बिना किसी विलंब भुगतान अधिभार, जुर्माना या दंड के मासिक किस्तों में बिल का भुगतान करने का विकल्प दिया जाना चाहिए"**

6.4 खंड (7.11), पहला पैरा निम्नानुसार *प्रतिस्थापित किया जाएगा*, **"स्पॉट बिलिंग सिस्टम द्वारा कवर नहीं किए गए सभी मामलों में, यदि लाइसेंसधारी मीटर को पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए खपत के आधार पर एक अनंतिम बिल जारी किया जा सकता है जिसमें मीटर कार्यात्मक था। तथापि, लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह की अनंतिम बिलिंग एक बार में दो से अधिक बिलिंग चक्रों तक न हो, और एक वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ता के लिए दो से अधिक अनंतिम बिल दिए गए हों। उस स्थिति में, यदि अनंतिम बिलिंग दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए जारी रहती है, सिवाय अप्रत्याशित स्थिति के कारण, तो उपभोक्ता वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाने तक बकाया भुगतान करने से मना कर सकता है। यदि लगातार दो से अधिक बिलिंग चक्र के लिए उपभोक्ता के परिसर तक पहुंचना दुर्गम है, तो अस्थायी डिस्कनेकशन के लिए उपभोक्ता के परिसर में एक नोटिस चिपकाया जाना चाहिए। यदि ऐसे नोटिस के लगाए जाने के 30 दिनों के भीतर, यदि उपभोक्ता मीटर रीडिंग की व्यवस्था करने में विफल रहता है, तो एक महीने का नोटिस देने के बाद आपूर्ति अस्थायी रूप से काट दी जाएगी। अनंतिम बिलों को बाद में वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर समायोजित किया जाएगा।**

उपर्युक्त के बावजूद, यदि मीटर रीडर लगातार दो तारीखों तक मीटर रीडिंग नहीं कर पाता है तो उपभोक्ता के पास मीटर रीडिंग की तस्वीर और मीटर रीडिंग की तारीख रजिस्टर्ड मोबाइल के माध्यम से या ई-मेल के माध्यम से भेजने का विकल्प होगा। ऐसे मामले में, वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता को कोई नोटिस या अनंतिम बिल नहीं भेजेगा।

6.5 खंड (7.12) में, पहले वाक्य के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा, **"तथापि, यदि न तो पिछले वर्ष की इसी अवधि की और न ही पिछले तीन महीनों की खपत उपलब्ध है, तो पिछले 6 महीनों के दौरान मीटर द्वारा सही ढंग से काम की गई अवधि के लिए खपत का औसत उपभोक्ता के खाते में ओवरहालिंग के लिए लिया जाएगा"**

6.6 खंड (7.12) में, **"और तीन महीने की अवधि के बाद कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया सकता है"** शब्दों को खंड के अंत में जोड़ा जाएगा।

6.7 खंड (7.12) में, चौथी पंक्ति में "महीने" शब्द को **"बिलिंग चक्र"** शब्दों द्वारा *प्रतिस्थापित किया जाएगा।*

6.8 खंड (7.40) में, खंड के अंत में निम्नलिखित पंक्ति जोड़ी जाएगी, **"इसके अलावा, अनुपूरक मांग को बिल में अलग से दिखाया जाएगा।"**

7. मूल विनियमों के विनियम 8 में संशोधन:

7.1 खंड में (8.48), दूसरी पंक्ति में संख्या, "5" शब्द को **"दस (10)"** *शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।*

7.2 खंड (8.49) में, एक नया खंड संख्या (4) जोड़ा जाएगा, **"(4) यदि कोई उपभोक्ता परिसर में आपूर्ति को आगे देने में लिप्त पाया जाता है जिसके लिए बिजली की आपूर्ति देना अधिकृत नहीं था तो उपभोक्ता गे दिए गए लोड के अनुपात के लिए उस श्रेणी के टैरिफ से दोगुना टैरिफ देने के लिए उत्तरदायी होगा जब तक कि यह जारी रहेता हे।**

8. मूल विनियमों के विनियम 9 में संशोधन:

8.1 खंड (9.2.1) नामक एक नया खंड, खंड (9.2) के बाद जोड़ा *जाएगा,* **"प्री-पेमेंट मीटर को जमा की गई राशि समाप्त होने पर स्वचालित रूप से आपूर्ति को काटने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। हालांकि इसे डिस्कनेक्शन के रूप में नहीं माना जाएगा और जब भी मीटर रिचार्ज किया जाएगा तो आपूर्ति फिर से शुरू कर दी जाएगी।**

8.2 खंड (9.9) में, परंतुक से पहले खंड के अंत में निम्नलिखित जोड़ा *जाएगा,* **"अंतिम बिल के भुगतान के तुरंत बाद डिस्कनेक्शन किया जाएगा। अंतिम रिडिंग और स्थायी डिस्कनेक्शन के बीच किसी भी खपत के कारण शेष राशि, यदि कोई हो, वितरण लाइसेंसधारी की सुरक्षा राशि में से समायोजित की जा सकती है। शेष सुरक्षा जमा राशि सात दिनों के भीतर उपभोक्ता को वापस कर दी जाएगी।**

8.3 खंड (9.12) में, निम्नलिखित परंतुक को *खंड के अंत में जोड़ा जाएगा,* **"बशर्ते कि यदि पिछले बकाए का भुगतान न करने के कारण डिस्कनेक्शन किया गया है, तो लाइसेंसधारी पिछली बकाया राशि और लागू अन्य शुल्क प्राप्त करने की तारीख से अगले कार्य दिवस तक उपभोक्ता की स्थापना को फिर से कनेक्ट कर देगा।**

9. मूल विनियमों के विनियम 10 में संशोधन:

9.1 खंड (10.12) में, दूसरी पंक्ति में, **"लॉकडाउन"** शब्दों को, "आग" के बाद और, "इत्यादि" शब्द से पहले *जोड़ा जाएगा।*

10. अनुबंध VIII

10.1 तालिका से पहले निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, **"तथापि, खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को छोड़कर (गीजर, हीटिंग रॉड आदि) घरेलू कनेक्शनों के लिए केवल उच्च कूलिंग लोड (एयर कंडीशनर, कूलर आदि) या हीटिंग लोड को ही कुल लोड का निर्धारण करने के लिए लिया जाएगा।**

11. अनुबंध XVIII

अनुबंध XVIII को निम्नानुसार *प्रतिस्थापित किया जाएगा:*

"सुरक्षा जमा राशि का परिसीमन

एक उपभोक्ता के लिए सुरक्षा जमा राशि = लोड (अनुबंध वर्ष की गणना के अनुसार) x उस श्रेणी का लोड फैक्टर जिसमें उपभोक्ता आता है x (30 दिन (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर) + 30 दिन) x एच घंटे x टैरिफ आदेश के अनुसार संबंधित टैरिफ श्रेणी की औसत बिलिंग दर (एबीआर)।

क्र.सं.	विवरण	लोड फैक्टर	घंटे (एच)
1.	घरेलू	30%	12
2.	वाणिज्यिक	50%	12
3.	एलटी औद्योगिक	50%	10
4.	एचटी/ ईएचटी औद्योगिक:		
	• सिंगल शिफ्ट उद्योग	50%	10
	• डबल शिफ्ट उद्योग	75%	18
	• सतत उद्योग	100%	24
5.	कृषि/ जलापूर्ति	33%	4
6.	स्ट्रीट लाइट	40%	8
7.	सिग्नल और ब्लिंकर	75%	12
8.	रेलवे ट्रैक्शन	50%	24

टिप्पण: कृषि उपभोक्ताओं के लिए समयावधि 60 दिन होगी।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./130/2021-22]

टिप्पण: (1) गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2018 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III – खंड 4, सं. 456 द्वारा दिनांक 26 नवंबर, 2018 को प्रकाशित किया गया था।

(2) गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2018 (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019 को भारत के राजपत्र के भाग- III – खंड सं.111 (असाधारण) द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2019 को प्रकाशित किया गया था।

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)

NOTIFICATION

Gurugram, the 25th June, 2021

The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Electricity Supply Code) (Second Amendment) Regulations, 2021

No. JERC: 23/2018.—In exercise of the powers conferred under Section 181 read with Section 50, thereof and all other power enabling it in this behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Electricity Supply Code) Regulations, 2018 (herein after referred to as "the Principal Regulations"

1. **Short title and Commencement:**

   1. These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Electricity Supply Code) (Second Amendment) Regulations, 2021.

   2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.

2. **Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:**

   The following definitions shall be amended/added in Regulation 2 of the Principal Regulation:

   2.1 In Clause 2.3(29): The words **"or remote disconnection"** *shall be added after* the words "physical separation" and before the word "of user or consumer"

   2.2 In Clause 2.3(47): The word **"would"** *shall be added after* the word "which" and before the words "have been consumed".

   2.3 In Clause 2.3(52): The word **"tenant"** *shall be added after* the word "owner," and before the words "or person"

   2.4 In Clause 2.3(63): The word "33 kV" *shall be substituted with* **"11kV"** in the third line.

   2.5 A new Clause, namely 2.3(41a) *shall be inserted after* Clause 2.3(41) of the Principal Regulations as under:

   "2.3(41a) Initial period of agreement" means the period of six months in case of LT supply, one year in case of HT supply and two years in case of EHT supply starting from the date of commencement of supply as per agreement. The initial period of agreement shall continue till the end of Billing cycle, in which the end date of the six months/one/two year's period expires.

3. **Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations:**

3.1 In Clause (4.7) of Regulation 4 of the principal regulations, the words, "**(except for Domestic Consumers upto 25 kW)** *shall be added after* the words "Consumers having a contracted demand of 20KW" and before the words "and above shall have" in the first line of the first paragraph.

3.2 In Clause (4.16) of Regulation 4 of the principal regulations, the second line, "However, the consumer may install generator, inverter, solar generating plant only after the consumer has installed automatic 4 pole changer and a manual double link switch changer" *shall be substituted with* **"The**

consumer shall install automatic 4-pole changer for 3-phase voltage supply and 2-pole changer for 1 phase voltage supply or manual four pole link switch for 3 phase voltage supply and automatic 2 pole changer or manual double link switch changer for 1 phase voltage supply whenever the consumer install generator, inverter, solar generating plant".

4. **Amendment to Regulation 5 of the Principal Regulations.**

4.1 In Clause (5.16) of Regulation 5 of the principal regulations, the word, **"only"** *shall be added after* the words "Supervision Charges" and before the words "on the labour component" in the first line.

4.2 In Clause (5.16) the line, **"excluding of service connection charges"** *shall be added after* the words "on the labour component of the work" and before the words "at the rate of 15%" in the second line.

4.3 In Clause (5.16) of the Regulation 5 of the principal regulations, the line, **"No service connection charges shall be paid if the Consumer has provided service cable/Distribution mains"** *shall be added* after the first sentence of the clause.

4.4 In Clause (5.26) of the Regulation 5 of the principal regulations, the words, **"mobile application"** *shall be added* after the word "website," and before the words "call centres," in the second line.

4.5 In Clause (5.49) of the Regulation 5 of the principal regulations, the line, "**After the expiry of period of two months, the application shall be deemed to have cancelled. Revival fee (one time only) for cancelled application shall be twice the demand notice extension fee as prescribed and will be done by load sanctioning authority for another two months only"** *shall be added* at the end of the clause.

4.6 In Clause (5.56), the words, **"Showrooms (Shop Cum Offices SCOs)"** *shall be added* after the words, " Group Housing," and before the words "etc.," in the first line.

4.7 In Clause (5.56), the words, **"as decided by the Licensee"**, *shall be added* after the words "In case the connected/contracted load of any connection," and before the words, "is projected to be more than 100kVA" in the first line of the second paragraph.

4.8 In Clause (5.74) the line, "**If a person, after applying for connection, withdraws his application or refuses to take supply, Application processing charges, if any, shall be forfeited"** *shall be added* at the end of the clause.

4.9 In Clause (5.79), the words, "**(other than an applicant for name change by legal heir & purchaser of property)"** *shall be added* after the words "No-Objection Certificate (NOC) from the person" and before the words, "in whose name the connection" in the fourth line of the clause.

4.10 In Clause (5.87) subclause (1), the line, **"A "No Objection Certificate" from the registered consumer/ authorized person/ previous occupant of the premises shall be required for cases involving transfer of security deposit in the name of applicant. The Licensee shall process the application form in accordance with Regulations 5.80 to 5.83 of this Supply Code, 2018"** *stands deleted.*

4.11 In Clause (5.87) subclause (2), *shall be substituted* with, "**The security deposit in the name of preceding consumer shall stand transferred in the name of the applicant and no additional security deposit shall be taken if consumer continues with same load.**

Provided further that in cases, if the property is being transferred in the name of multiple owners, the connection will be transferred in the name of first owner:

Provided in case if connection is requested to be transferred in name of second co-owner then the same shall be accepted on receipt of NOC from other co-owners:

Provided also that if other co-owner, upto two, of the property want to add their name for electricity connection, they shall apply jointly for name change."

4.12 In Clause 5.87 subclause (3), the word **"in"** *shall be* deleted and the word "effect" *shall be replaced* by **"effected"**

4.13 In Clause 5.88 subclause (2), first line, the words "and the shortfall in security deposit calculated as specified in Annexure XVIII of this Supply Code, 2018, if any, shall be payable by the applicant" *shall be deleted* and the words "**and no additional security deposit shall be taken if consumer continues with same load.**" *shall be added.*

4.14 In Clause 5.88 subclause (2), the following proviso *shall be added* "**Provided further that in cases, if the property has been transferred in the name of multiple owners, the connection will be transferred in the name of first owner:**

Provided also that if other co-owner, upto two, of the property want to add their name for electricity connection, they shall apply jointly for name change."

4.15 In Clause 5.89, the following proviso *shall be added* after "Table 5", "**Provided that if for conversion of services from HT to LT requires replacement of existing equipment, then the consumer shall pay the necessary charges as per this code and the difference between the security deposit required for the reduced load and that already deposited shall be adjusted in the Bills within next 3 billing cycles.**"

4.16 Clause 5.107, *shall be substituted* with, "**The Application for load reduction shall be accepted only after six months from original energization for LT connections, after 1 (one) year for HT consumers and 2 (two) year from original energisation for EHT connections.**"

4.17 Clause 5.122, *shall be substituted with*, "**If any Consumer terminates his Agreement within six months from original energization for LT connections, after one year for HT consumers and 2 year for EHT connections of the commencement of new or additional supply (or where no formal Agreement is tendered, if the supply is not utilized for the above period, which would have been applicable if an Agreement has been tendered), the consumer shall be liable to pay the Fixed/Minimum charges for each month short of the said period.**"

5. Amendment to Regulation 6 of the Principal Regulations:

5.1 In Clause (6.7), the following line to be included at the end of the sentence "**and preferable be pre-paid meters. Prepaid meters installed shall be exempted from Security Deposit while ensuring sufficient advance payment thereof.**"

5.2 In Clause (6.20), last sentence of the clause, the words, "**Calibrated check meter/**" *shall be added* before "Standby meter readings"

5.3 Clause (6.39), *shall be substituted* as follows, "**The licensee shall dispatch the test report to the consumer, to be received under acknowledgement, within 7 working days of the date of testing. When the meter is found to be slow beyond permissible limits, as specified and the consumer does not dispute the accuracy of the test, the Licensee/consumer, as the case may be, shall replace/ rectify the defective meter within the period as specified by the Commission. The consumer shall pay the difference due to the defect in the meter at normal rates, based on percentage error, for a maximum period of six months or from the date of last testing, whichever is later, on the basis of the test report, shall be adjusted or accounted for in the subsequent bill.**"

6. Amendment to Regulation 7 of the Principal Regulations:

6.1 In Clause (7.2), in the last line, the word "six" *shall be substituted with* "**twelve (12)**".

6.2 In Clause (7.4), in the last line, the number "14" *shall be substituted with* "**seven (7) working**".

6.3 In Clause (7.6), the following line shall be included after the last sentence, "**Provided that in case of delay in serving a bill by more than 60 days, the consumer should be given the option to pay the bill in monthly instalments without any Late Payment Surcharge, fine or penalty**".

6.4 Clause (7.11), first paragraph, *shall be replaced* as follows, "**In all cases not covered by the Spot Billing system, if the Licensee is not able to read the meter, a provisional bill may be issued on the basis of the consumption for the corresponding period of the previous year wherein the meter was functional. However, the Licensee shall ensure that such provisional billing does not extend to more than two billing cycles at a stretch, and there are not more than two provisional bills generated for a consumer during one financial year. In that case, if the provisional billing continues for more than two billing cycles except under extraordinary situation due to force**

majeure, the consumer may refuse to pay the dues until bill is raised by the distribution licensee as per actual meter reading. If the premise of the consumer is inaccessible for more than two billing cycle continuously, a notice is to be affixed in the premises of the Consumer for temporary disconnection. If within 30 days from the affixation of such notice, if the consumer fails to make arrangement for meter reading, the supply shall be temporarily disconnected after giving one-month notice. The provisional bills shall be adjusted on the basis of the subsequent actual meter reading.

Notwithstanding the above, if the meter is inaccessible to the meter reader on two consecutive meter reading dates, the consumer shall have the option to send the picture of the meter indicating the meter reading and date of meter reading through registered mobile or through e-mail. In such a case, distribution licensee may not send any notice or provisional bill to the consumer."

6.5 In Clause (7.12), the following sentence *shall be added* after the first sentence, **"However, if neither the consumption of corresponding period of previous year nor for the last three months is available then average of the consumption for the period the meter worked correctly during the last 6 months shall be taken for overhauling the account of the consumer"**

6.6 In Clause (7.12), the words, **"and no bills can be raised beyond the period of three months"** shall be added at the end of the clause.

6.7 In Clause (7.12), the word "months" in the fourth line *shall be replaced* by the words, **"billing cycles"**.

6.8 In Clause (7.40), the following line shall be added at the end of the clause. **"Further, Supplementary demand shall be shown separately in the bill."**

7. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations:

7.1 In Clause (8.48), in the second line the number, "5" *shall be substituted with* the word, **"ten (10)"**.

7.2 In Clause (8.49), a new clause numbered (4) shall be added, **"(4) If a consumer is found indulging in extension of supply to premises for which the supply of electricity was not authorized then the consumer shall be liable for proportion of load extended at twice the tariff of that category till it continues."**

8. Amendment to Regulation 9 of the Principal Regulations:

8.1 A new clause named Clause (9.2.1) *shall be added* after clause (9.2), **"Pre-payment meters will be designed to automatically cut off supply when the amount credited is exhausted. This shall however not be treated as a disconnection and the supply will be resumed whenever the meter is recharged."**

8.2 In Clause (9.9), the following *shall be added* at the end of the clause before the proviso, **"The disconnection shall be done immediately after payment of the final bill. The balance amount due to any consumption between the final reading and the permanent disconnection, if any, may be adjusted against the security amount with the distribution licensee. The remaining security deposit shall be refunded to the consumer within seven days."**

8.3 In Clause (9.12), the following proviso *shall be added* at the end of the clause, **"Provided that in case the disconnection has been done on account of non-payment of past dues, the licensee shall reconnect the consumer's installation within next working day of receipt of past dues and other charges as applicable."**

9. Amendment to Regulation 10 of the Principal Regulations:

9.1 In Clause (10.12), third line, the words **"lockdown"**, *shall be added* after the word, "fire,"and before the word, "etc.,"

10. Annexure-VIII

10.1 The following shall be added before the table, "**However, for domestic connections the higher of the Cooling Load (Air conditioners, coolers etc) or Heating load; excluding equipments used for cooking (Geysers, Heating rod etc.) only shall be taken for determination of Total load.**"

11. Annexure XVIII

Annexure XVIII *shall be substituted* as follows:

"Delimitation of Security Deposit amount

Security deposit amount for a consumer = Load (as calculated as per Annexure VIII) x Load Factor of the category in which the consumer falls x (30 days (except agricultural consumers) + 30 days) x H Hours x Average Billing Rate (ABR) of the relevant Tariff category as per Tariff Order

S. No.	Particulars	Load factor	Hours (H)
1.	Domestic	30%	12
2.	Commercial	50%	12
3.	LT Industrial	50%	10
4.	HT/EHT Industrial:		
	• Single shift industries	50%	10
	• Double shift industries	75%	18
	• Continuous industries	100%	24
5.	Agriculture / Water Supply	33%	4
6.	Street lights	40%	8
7.	Signals & blinkers	75%	12
8.	Railway Traction	50%	24

Note: For agricultural consumers the time period shall be 60 days."

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./130/2021-22]

Note : (1) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Electricity Supply Code) Regulations, 2018 were published in Part III- Section 4, No.456 of the Gazette of India (Extraordinary) dated November 26, 2018

(2) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Electricity Supply Code) Regulations, 2018 (First Amendment) Regulations, 2019 were published in Part III- Section 4, No.111 of the Gazette of India (Extraordinary) dated March 25, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-14062024-254713
CG-HR-E-14062024-254713

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411] नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2024/ज्येष्ठ 22, 1946
No. 411] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2024/JYAISHTHA 22, 1946

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 27 मई, 2024

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (वितरण लाइसेंसधारियों के लिए प्रदर्शन हेतु मानक) (पहला संशोधन) विनियम, 2024

जेईआरसी सं. 19/20/2015/1680- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(1) और 181 (2) (जेडए और जेडबी) के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (वितरण लाइसेंसधारियों के लिए प्रदर्शन हेतु मानक) विनियम, 2015 (जिसे आगे मूल विनियम कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन किया गया है।

1) **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार**

(i) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (वितरण लाइसेंसधारियों के लिए प्रदर्शन हेतु मानक) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(iii) ये विनियम संपूर्ण गोवा राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होंगे।

2) मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन:

(i) विनियम 4.1 (जी) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

जी(ए) ग्राहक औसत व्यवधान अवधि सूचकांक (सीएआईडीआई) का अर्थ है, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान व्यवधान का अनुभव करने वालों के लिए निरंतर व्यवधानों (प्रत्येक 3 मिनट से अधिक) की औसत व्यवधान अवधि, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

जी(बी) ग्राहक औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (सीएआईएफआई) का अर्थ है, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान व्यवधान का अनुभव करने वालों के लिए निरंतर व्यवधानों (प्रत्येक 3 मिनट से अधिक) की औसत व्यवधान आवृत्ति, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(ii) विनियम 4.1 (एल) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

एल (ए) अस्थायी औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एमएआईएफआई) का अर्थ है, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रति उपभोक्ता को होने वाले अस्थायी व्यवधानों (प्रत्येक 3 मिनट से कम या बराबर) की औसत संख्या, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(iii)विनियमन 4.1 (पी) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

पी(ए) प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक (एसएआईडीआई) का अर्थ है, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रति उपभोक्ता को होने वाले निरंतर व्यवधानों (प्रत्येक 3 मिनट से अधिक) की औसत अवधि, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

पी(बी) प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एसएआईएफआई) का अर्थ है, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रति उपभोक्ता को होने वाली निरंतर व्यवधानों (प्रत्येक 3 मिनट से अधिक) की औसत आवृत्ति, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

3) मूल विनियम के विनियम 8 में संशोधन:

(i) विनियम 8.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

यदि लाइसेंसधारी निर्दिष्ट प्रदर्शन मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उन्हें इन विनियमों की अनुसूची-I के अनुसार प्रभावित उपभोक्ता को मुआवजा देना होगा।

(ii) विनियम 8.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

प्रभावित उपभोक्ताओं को इन विनियमों की अनुसूची III के अंतर्गत निर्दिष्ट दरों के अनुसार, निर्दिष्ट मानकों के उल्लंघन की तिथि से 90 दिनों के भीतर विद्युत आपूर्ति से वर्तमान और/या भविष्य के बिलों के लिए समायोजन के माध्यम से मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

(iii) विनियम 8.3 के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाता है:

8.3ए यदि लाइसेंसधारी इन विनियमों की अनुसूची-III में निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो पीड़ित उपभोक्ता ऐसे मुआवजे की मांग के लिए संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) से संपर्क कर सकता है।

8.3बी उपभोक्ता को उन मापदंडों के लिए स्वचालित रूप से मुआवजा दिया जाएगा, जिनकी दूर से निगरानी की जा सकती है और यह तभी दिया जाएगा, जब यह सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सके कि वितरण लाइसेंसधारी के प्रदर्शन में कोई चूक हुई है।

8.3सी वितरण लाइसेंसधारी को इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से छह महीने के भीतर ऑनलाइन की व्यवस्था करनी होगी, जिस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सके और मुआवज़े की मांग कर सके। इस संबंध में सूचना को जनसंचार माध्यमों, बिलों, एसएमएस, ई-मेल या लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर अपलोड करके उचित माध्यमों से उपभोक्ताओं के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा।"

4) मूल विनियमों के विनियम 9 में संशोधन

(i) विनियम 9.5 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

9.5ए लाइसेंसधारियों को सभी सेवाएँ एक सामान्य ग्राहक संबंध प्रबंधक (सीआरएम) प्रणाली के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास करना होगा, ताकि बेहतर निगरानी और विश्लेषण के लिए अंतिम छोर (बैक-एंड) पर अनुरोधित और लंबित सभी सेवाओं का एकीकृत दृश्य प्राप्त हो सके।

9.5बी सीआरएम में एसएमएस, ईमेल अलर्ट, आवेदन प्राप्ति, सेवा पूर्ण होने, आवेदन की स्थिति में परिवर्तन आदि के लिए उपभोक्ताओं और अधिकारियों के लिए अधिसूचनाएं, ऑनलाइन स्थिति की ट्रैकिंग की सुविधा होगी और यदि निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं तो उच्च स्तर पर स्वचालित वृद्धि करने की सुविधाएं होंगी।

(ii) विनियम 9.6 के अंत में निम्नलिखित शामिल किया जाता है:

वितरण लाइसेंसधारियों को उपभोक्ता अधिकारों, कार्य-निष्पादन के मानकों, क्षतिपूर्ति प्रावधानों, शिकायत निवारण, ऊर्जा दक्षता के उपायों तथा वितरण लाइसेंसधारी की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए मीडिया, टी.वी., समाचार-पत्रों, वेबसाइट के माध्यम से तथा उपभोक्ता सेवा से संबंधित कार्यालयों में बोर्ड लगाकर उचित प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करनी होगी।

(iii) विनियम 9.7 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है

9.8 वितरण लाइसेंसधारी को अपने प्रत्येक कार्यालय में उपभोक्ताओं के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करने तथा ग्राहक की शिकायतों के निपटान के लिए कार्यप्रणाली नियमावली उपलब्ध कराना होगा, जिसे वितरण लाइसेंसधारी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा।

9.9 वितरण लाइसेंसधारी को फीडर-वार आउटेज डेटा, आउटेज को न्यूनतम करने के लिए किए गए प्रयास, बिजली की चोरी या अनाधिकृत उपयोग या छेड़छाड़ की रोकथाम, विद्युत संयंत्र, विद्युत लाइनों या मीटर को होने वाली परेशानी या क्षति तथा वर्ष के दौरान प्राप्त परिणामों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करनी होगी।

9.10 जब भी मौजूदा मीटरों को किसी नई तकनीक वाले मीटर से बदला जाएगा, तब वितरण लाइसेंसधारी को मौजूदा मीटरों को बदले जाने के लाभ के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्याप्त उपाय करने होंगे। वितरण लाइसेंसधारी को कम से कम चार दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी करनी होगी। ऐसी सूचना वितरण लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी और वितरण लाइसेंसधारी को ऐसे मीटरों को बदलने के लिए क्षेत्रवार तिथियों की अनुसूची दर्शानी होगी।

5) मूल विनियमों की "अनुसूची-I गारंटीकृत प्रदर्शन मानक" में संशोधन

अनुसूची-I के खंड 15 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

15(ए): जारी किये गये नये बिजली कनेक्शन

	अनुरोध के प्रकार	समय सीमा
i.	नया कनेक्शन/अतिरिक्त लोड जहां मौजूदा नेटवर्क से आपूर्ति प्रदान की जा सकती है	मेट्रो शहर: आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर सभी मामलों को उपयुक्त रूप से पूरा करें।

		शहरी/ नगरपालिका क्षेत्र: आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर सभी मामलों को उपयुक्त रुप से पूरा करें।
		ग्रामीण क्षेत्र: आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सभी मामलों को उपयुक्त रुप से पूरा करें।
		द्वीप समूह का ग्रामीण क्षेत्र: आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सभी मामलों को उपयुक्त रुप से पूरा करें।
ii.	विस्तार कार्य या ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि / वितरण मेन्स का विस्तार, या नए सबस्टेशनों की स्थापना की आवश्यकता ।	वितरण लाइसेंसधारी ऐसे विस्तार या कमीशनिंग के तुरंत बाद 90 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर ऐसे परिसरों को बिजली की आपूर्ति करेगा।

6) **मूल विनियमों की "अनुसूची-II प्रदर्शन के समग्र मानक" में संशोधन**

(i) **निम्नलिखित को अनुसूची-II के खंड 8 के बाद शामिल किया जाता है:**

8ए जारी किये गये नये बिजली कनेक्शन:

लाइसेंसधारी को इन विनियमों की अनुसूची-I के क्रम संख्या 15ए में निर्दिष्ट कार्यनिष्पादन के मानकों को प्राप्त करना होगा।

(ii) **अनुसूची-II के खंड 15 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:**

15ए वितरण लाइसेंसधारी को सभी उपभोक्ताओं के लिए 24X7 बिजली की आपूर्ति करनी होगी। हालांकि, आयोग कृषि क्षेत्र में व्यवसाय योजना/टैरिफ आदेश जैसे कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्धारित कर सकता है।

15बी वितरण प्रणाली विश्वसनीयता प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग की एक समान प्रणाली होगी। सभी लाइसेंसधारियों पर समान विश्वसनीयता सूचकांक लागू किए जाएंगे। आयोग द्वारा निर्धारित प्रदर्शन लक्ष्य स्तर प्रत्येक लाइसेंसधारी के लिए अद्वितीय होगा जो आरंभ में लाइसेंसधारी के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर आधारित होगा और इसे व्यवसाय योजना में निर्धारित किया जाएगा।

(iii) **अनुसूची-II का खंड 17 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:**

लाइसेंसधारी इस अनुसूची में क्रम संख्या 18 में निर्दिष्ट सूत्र और कार्यप्रणाली के अनुसार शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए वितरण विश्वसनीयता सूचकांक अर्थात एसएआईएफआई, एसएआईडीआई, एमएआईएफआई, सीएआईएफआई और सीएआईडीआई के मूल्य की गणना अलग-अलग करेगा।

वितरण लाइसेंसधारी को आउटेज की निगरानी और बहाली के लिए यथासंभव स्वचालित उपकरणों के साथ एक प्रक्रिया स्थापित करनी होगी।

(iv) **अनुसूची-II के खंड 18 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:**

18. लाइसेंसधारक के लिए सूचकांक की गणना प्रत्येक महीने आपूर्ति क्षेत्र में सभी 11 केवी फीडरों को स्टैक करके तथा प्रत्येक फीडर के लिए उस महीने में सभी रुकावटों की संख्या और अवधि को जोड़कर की जाएगी। उसके बाद सूचकांक की गणना निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके की जाएगी:

a. $SAIFI = \sum_{i=1}^{n}(A_i \times N_i)/N_t$

b. $SAIDI = \sum_{i=1}^{n}(B_i \times N_i)/N_t$

c. $MAIFI = \sum_{i=1}^{n}(C_i \times N_i)/N_t$

d. $CAIFI = \sum_{i=1}^{n}(A_i \times N_i)/N_a$

e. $CAIDI = \sum_{i=1}^{n}(B_i \times N_i)/N_a$

अर्थात्,

A_i= माह के दौरान i^{th} फीडर पर लगातार व्यवधानों की कुल संख्या (प्रत्येक 3 मिनट से अधिक)।

B_i= माह के दौरान i^{th} फीडर पर सभी निरंतर व्यवधानों (प्रत्येक 3 मिनट से अधिक) की कुल अवधि।

C_i= माह के दौरान फीडर पर अस्थायी व्यवधानों की कुल संख्या (प्रत्येक 3 मिनट से कम या बराबर)।

N_i= प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित i^{th} फीडर के उपभोक्ताओं की संख्या।

N_t= लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 केवी (kV) फीडरों पर उपभोक्ताओं की कुल संख्या।

N_a= लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 केवी (kV) फीडरों पर कुल उपभोक्ताओं की संख्या, जिन्होंने रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान व्यवधान का अनुभव किया है

n = लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 केवी (kV) फीडरों की संख्या (कृषि फीडरों को छोड़कर)

नोट:

i. फीडरों को शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विभाजित किया जाना चाहिए तथा सूचकांकों का मूल्य प्रत्येक माह के लिए अलग से रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

ii. लाइसेंसधारियों को एआरआर जमा करते समय प्रत्येक वर्ष इन सूचकांकों के लक्ष्य स्तर का प्रस्ताव करना होगा। उसके बाद आयोग इन सूचकांकों को अधिसूचित करेगा।

(v) अनुसूची-II के खंड 18 के बाद निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है

19. बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए, विशेष रूप से महानगरों और 100,000 और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ताकि डीजल जनरेटर सेट चलाने से बचा जा सके।

20. जो उपभोक्ता डीजल जनरेटर सेटों का उपयोग आवश्यक बैकअप पावर के रूप में कर रहे हैं, उन्हें इन विनियमों के लागू होने की तिथि से पाँच वर्ष के भीतर स्वच्छ तकनीकी, जैसे बैटरी भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा आदि को अपनाने का प्रयास करना होगा।

21. निर्माण गतिविधियों या किसी अस्थायी उपयोग आदि के लिए उपभोक्ताओं को अस्थायी कनेक्शन देने की प्रक्रिया को वितरण लाइसेंसी द्वारा सरल बनाया जाएगा और अड़तालीस घंटों के भीतर कनेक्शन प्रदान किया जायेगा और जहाँ वितरण प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता हो, वहाँ सात दिनों के भीतर कनेक्शन प्रदान किया जायेगा।

22. अस्थायी कनेक्शन पूर्व-भुगतान मीटर या उपभोक्ता मीटर के माध्यम से होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना और संचालन) विनियमों में परिभाषित किया गया है।

7) मूल विनियमों की "अनुसूची-III मुआवजा" में संशोधन

(i) अनुसूची-III को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

इन विनियमों की अनुसूची-I में निर्दिष्ट प्रदर्शन के गारंटीकृत मानकों को पूरा करने में लाइसेंसधारी की विफलता के मामले में, उपभोक्ता को मुआवजा देय होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	प्रदर्शन पैरामीटर्स	मानक	मानक के उल्लंघन के मामले में व्यक्तिगत उपभोक्ता को देय मुआवजा (उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के समय से डिफॉल्ट माना जाएगा)	स्वचालित/नियमावली
I.	उपभोक्ताओं का बिलिंग			
1.	अंतिम बिल की प्रस्तुती	2 बिलिंग चक्रों के भीतर	बिल राशि का 10%, अधिकतम 500/- रु. होगा	स्वचालित
2.	यदि उपभोक्ता के अनुरोध पर कनेक्शन काटने के बाद भी बिल जारी किया जाता है		प्रत्येक मामले के लिए 500/- रु.	
3.	बिलिंग संबंधी शिकायतों का समाधान	यदि कोई अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं है, तो शिकायत प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर समाधान करें। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर समाधान करें।	चूक होने पर प्रत्येक दिन के लिए 100/- रु.	
4.	उपभोक्ता को नवीनतम बिल की आवश्यकता होने पर	लाइसेंसधारक को विशिष्ट रीडिंग करने के 7 दिनों के भीतर अंतिम बिल तैयार करना होगा	चूक होने पर प्रत्येक दिन के लिए 100/- रु.	
II.	उपभोक्ता के कनेक्शन का स्थानांतरण एवं सेवाओं का परिवर्तन			
5.	संपत्ति के स्वामित्व/अधिभोग में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन	आवेदन स्वीकार करने के 2 बिलिंग चक्रों के भीतर	चूक होने पर प्रत्येक दिन के लिए 100/- रु.	स्वचालित
6.	उपभोक्ता के नाम का कानूनी उत्तराधिकारी को स्थानांतरण	आवेदन स्वीकार करने के 2 बिलिंग चक्रों के भीतर		
7.	भार (लोड) में कमी	आवेदन प्राप्ति के 30 दिन बाद		
8.	श्रेणी में परिवर्तन	आवेदन स्वीकार होने के 10 दिनों के भीतर		
9.	मीटर/सर्विस लाइन आदि का स्थानांतरण।	उपभोक्ता द्वारा अनुमानित राशि जमा कराने के 30 दिन के भीतर, जिसके लिए लाइसेंसधारी को 30 दिन का समय दिया जाता है।		
III.	नये बिजली कनेक्शन जारी करना			

10.	नया कनेक्शन/अतिरिक्त लोड जहां मौजूदा नेटवर्क से आपूर्ति प्रदान की जा सकती है	मेट्रो शहर: आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर सभी मामलों में उपयुक्त प्रपत्र में पूरा करें। शहरी/ नगरपालिका क्षेत्र: आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर सभी मामलों में उपयुक्त प्रपत्र में पूरा करें। ग्रामीण क्षेत्र: आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सभी मामलों में उपयुक्त प्रपत्र में पूरा करें। द्वीप क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्र: आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सभी मामलों में उपयुक्त प्रपत्र में पूरा करें।		
11.	विस्तार कार्य या ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता है / वितरण मेन्स का विस्तार, या नए सबस्टेशनों की शुरुआत	वितरण लाइसेंसधारी ऐसे विस्तार या चालू होने के तुरंत बाद 90 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे परिसरों को बिजली की आपूर्ति करेगा।	चूक होने पर प्रत्येक दिन के लिए 200/- रु.	नियमावली
IV.	आपूर्ति का विच्छेदन/पुन: संयोजन			
12.	पुनः कनेक्शन हेतु अनुरोध	यदि उपभोक्ता डिस्कनेक्शन के बाद छह महीने की अवधि के भीतर पुनः कनेक्शन के लिए अनुरोध करता है, तो लाइसेंसधारी को पिछले बकाया और पुनः कनेक्शन शुल्क के भुगतान के 7 दिनों के भीतर उपभोक्ता के कनेक्शन को पुनः इंस्टॉल करना होगा।	चूक होने पर प्रत्येक दिन के लिए 100/- रु.	स्वचालित
V.	मीटर संबंधी शिकायतें			
13.	मीटर का परीक्षण	शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर		स्वचालित
14.	जले हुए मीटर को बदलना	जले हुए मीटर को बाईपास करके 6 घंटे के भीतर आपूर्ति बहाल करनी होगी। मीटर को 15 दिनों		

		के भीतर बदलना होगा।		
15.	ख़राब मीटर को बदलना	परीक्षण के बाद मीटर को ख़राब घोषित करने के 15 दिन के भीतर	चूक होने पर प्रत्येक दिन के लिए 100/- रु.	
VI.	बिजली आपूर्ति विफलता			
16.	फ्यूज उड़ गया या एमसीबी ट्रिप हो गया (यदि फ्यूज या एमसीबी लाइसेंसधारी का है, जैसे पोल या फीडर पिलर फ्यूज)	शहरी क्षेत्रों के लिए 4 घंटे के भीतर तथा दूरदराज के क्षेत्रों में 12 घंटे के भीतर।	प्रत्येक घंटे की चूक के लिए 40/- रु.	स्वचालित
17.	टूटी हुई सर्विस लाइन पोल से टूटी सर्विस लाइन	शहरी क्षेत्रों के लिए 6 घंटे के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 12 घंटे के भीतर		
18.	वितरण लाइन/प्रणाली में खराबी	खराबी को ठीक करना और उसके बाद 12 घंटे के भीतर सामान्य बिजली आपूर्ति बहाल करना		
19.	भूमिगत केबल का टूटना	24 घंटे के भीतर सुधार		
20.	वितरण ट्रांसफार्मर खराब/जला हुआ	शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर खराब ट्रांसफार्मर को बदलना; ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे के भीतर; दूरदराज के क्षेत्रों में 60 घंटे के भीतर।	चूक होने पर प्रत्येक दिन के लिए 300/- रु.	स्वचालित
21.	एचटी मेन विफल हो जाने पर	12 घंटे के भीतर खराबी का सुधार	चूक होने पर प्रत्येक दिन के लिए 400/- रु.	
22.	ग्रिड (11kV या 33kV या 66 kV) सबस्टेशन में समस्या	48 घंटे के भीतर मरम्मत एवं आपूर्ति की बहाली		
23.	पावर ट्रांसफार्मर की खराबी	अनुसूची-I के अनुच्छेद 15.8 के अनुसार	चूक होने पर प्रत्येक दिन के लिए 1000/- रु.	

VII.	वोल्टेज में उतार-चढ़ाव			
24.	ट्रांसफार्मर पर स्थानीय समस्या	3 दिन के भीतर	चूक होने पर प्रत्येक दिन के लिए 100/- रु.	स्वचालित
25.	यदि वितरण नेटवर्क समस्या जहां नेटवर्क के विस्तार या संवर्धन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता	एलटी सिस्टम के लिए 15 दिनो के भीतर एचटी सिस्टम के लिए 30 दिनों के भीतर	चूक होने पर प्रत्येक दिन के लिए 200/- रु.	
26.	यदि वितरण नेटवर्क समस्या, यदि सब-स्टेशन के निर्माण और/या क्षमता बढ़ाने सहित वितरण प्रणाली के उन्नयन की आवश्यकता है	180 दिनों के भीतर	चूक होने पर प्रत्येक दिन के लिए 500/- रु.	

"

8) **मूल विनियमों के "अनुलग्नक-III" में संशोधन**

(I) अनुलग्नक-III की क्रम संख्या 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

क. एसएआईएफआई						
क्र.सं.	माह	N_i = प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित i^{th} फीडर के उपभोक्ताओं की संख्या	A_i = माह के दौरान i^{th} फीडर पर लगातार रुकावटों की कुल संख्या (प्रत्येक 3 मिनट से अधिक)	N_t= लाइसेंसधारी की आपूर्ति में 11kV फीडरों पर उपभोक्ताओं की कुल संख्या (1)	$=\sum(A_i \times N_i)$ कृषि फीडरों को छोड़कर सभी 11kV फीडरों के लिए (2)	एसएआईएफआई =(2)/(1)
	I					
	एन					
	कुल					

ख. एसएआईडीआई						
क्र.सं.	माह	N_i = प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित i^{th} फीडर के उपभोक्ताओं की संख्या	B_i = माह के दौरान i^{th} फीडर पर सभी निरंतर रुकावटों (प्रत्येक 3 मिनट से अधिक) की कुल अवधि	N_t = लाइसेंसधारी की आपूर्ति में 11kV फीडरों पर उपभोक्ताओं की कुल संख्या (1)	$=\sum(B_i \times N_i)$ कृषि फीडरों को छोड़कर सभी 11kV फीडरों के लिए (2)	एसएआईडीआई =(2)/(1)
	I					

	एन					
	कुल					

ग. एमएआईएफआई						
क्र.सं.	माह	N_i = प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित ith फीडर के उपभोक्ताओं की संख्या	C_i = महीने के दौरान फीडर पर क्षणिक व्यवधानों की कुल संख्या (प्रत्येक 3 मिनट से कम या बराबर)	N_t= लाइसेंसधारी की आपूर्ति में 11kV फीडरों पर उपभोक्ताओं की कुल संख्या (1)	$=\sum(C_i \times N_i)$ कृषि फीडरों को छोड़कर सभी 11kV फीडरों के लिए (2)	एमएआईएफआई =(2)/(1)
	I					
	एन					
	कुल					

घ. सीएआईएफआई						
क्र.सं.	माह	N_i= प्रत्येक के कारण प्रभावित फीडर के उपभोक्ताओं की संख्या interruption	A_i= माह के दौरान फीडर पर लगातार रुकावटों की कुल संख्या (प्रत्येक 3 मिनट से अधिक)	N_a= लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 केवी फीडरों पर कुल उपभोक्ताओं की संख्या, जिन्हें रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान व्यवधान का अनुभव हुआ (1)	$=\sum(A_i \times N_i)$ कृषि फीडरों को छोड़कर सभी 11kV फीडरों के लिए (2)	सीएआईएफआई =(2)/(1)
	1					
	एन					
	कुल					

ङ. सीएआईडीआई						
क्र.सं.	माह	N_i= प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित ith फीडर के उपभोक्ताओं की संख्या	B_i = माह के दौरान फीडर पर सभी निरंतर रुकावटों (प्रत्येक 3 मिनट से अधिक) की	N_a= लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 केवी फीडरों पर कुल उपभोक्ताओं की संख्या, जिन्हें रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान व्यवधान का	$=\sum(B_i \times N_i)$ कृषि फीडरों को छोड़कर सभी 11kV फीडरों के लिए (2)	सीएआईडीआई =(2)/(1)

			कुल अवधि	अनुभव हुआ (1)		
	1					
	N					
	कुल					

नोट: वितरण लाइसेंसधारी को ऐसी रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी।

एस डी शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./180/2024-25]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurugram, the 27th May, 2024

Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Standard of Performance for Distribution Licensees) (First Amendment) Regulations, 2024

No. 19/20/2015-JERC/1680-In exercise of the powers conferred under Section 181(1) and 181 (2) (za & zb) of the Electricity Act, 2003, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories) hereby makes the following amendments in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs (Standards of Performance for Distribution Licensees) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as the Principal Regulations).

1) **Short Title, Commencement and Extent**

(a) These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Standard of Performance for Distribution Licensees) (First Amendment) Regulations, 2024.

(b) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(c) These Regulations shall extend to the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Puducherry and Chandigarh.

2) **AMENDMENT IN REGULATION 4 OF THE PRINCIPAL REGULATIONS:**

(i) **Following shall be inserted after Regulation 4.1 (g):**

A g(a) Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI) means the average interruption duration of the sustained interruptions (each longer than 3 minutes) for those who experienced interruptions during the reporting period, as specified by the commission.

g(b) CUSTOMER AVERAGE INTERRUPTION FREQUENCY INDEX (CAIFI) MEANS THE AVERAGE INTERRUPTION FREQUENCY OF THE SUSTAINED INTERRUPTIONS (EACH LONGER THAN 3 MINUTES) FOR THOSE WHO EXPERIENCED INTERRUPTIONS DURING THE REPORTING PERIOD, AS SPECIFIED BY THE COMMISSION.

(ii) **Following shall be inserted after Regulation 4.1 (l):**

l(a) Momentary Average Interruption Frequency Index (MAIFI) means the average number of momentary interruptions (each less than or equal to 3 minutes) per consumer occurring during the reporting period, as specified by the commission.

(iii) **Following shall be inserted after Regulation 4.1 (p):**

p(a) System Average Interruption Duration Index (SAIDI) means the average duration of the sustained interruptions (each longer than 3 minutes) per consumer occurring during the reporting period, as specified by the commission.

p(b) System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) means the average frequency of the sustained interruptions (each longer than 3 minutes) per consumer occurring during the reporting period, as specified by the commission.

3) **AMENDMENT IN REGULATION 8 OF THE PRINCIPAL REGULATIONS:**

(i) **Regulation 8.1 shall be substituted as under:**

If the licensee fails to meet the specified standards of performance, the licensee shall pay compensation to the affected consumer as per in Schedule-I of these Regulations.

(ii) Regulation 8.3 shall be substituted as under:

The payment of compensation shall be made to the affected consumers as per the rates specified under Schedule III of these Regulations by way of adjustment against current and/or for future bills from supply of electricity within 90 day from the date of violation of specified standards.

(iii) Following shall be inserted after Regulation 8.3:

8.3a In case, the licensee fails to pay the compensation amount as laid down in Schedule-III of these Regulations, the aggrieved consumer(s) may approach the respective Consumer Grievances Redressal Forum (CGRF) to seek such compensation.

8.3b CONSUMER SHALL BE AUTOMATICALLY COMPENSATED FOR THOSE PARAMETERS WHICH CAN BE MONITORED REMOTELY WHEN IT CAN BE SUCCESSFULLY ESTABLISHED THAT THERE IS A DEFAULT IN PERFORMANCE OF THE DISTRIBUTION LICENSEE.

8.3c The distribution licensee, within six months from the date of notification of these Regulations shall create an online facility on which consumers may register their complaints and claim the compensation. The information in this regard shall be widely circulated amongst consumers through appropriate means including mass media, bills, SMS, e-mails or by uploading on licensee's website."

4) AMENDMENT IN REGULATION 9 OF THE PRINCIPAL REGULATIONS

(i) Following shall be inserted after Regulation 9.5:

9.5a The licensees shall endeavour to provide all services through a common Customer Relation Manager (CRM) System to get a unified view of all the services requested, attended and pending, at the back end for better monitoring and analysis.

9.5b The CRM shall have facilities for SMS, email alerts, notifications to consumers and officers for receipt of application, completion of service, change in status of application, etc; online status tracking and auto escalation to higher level, if services are not provided within the specified time period.

(ii) Following shall be inserted at the end of Regulation 9.6:

The distribution licensee shall arrange to give due publicity through media, TV, newspapers, website and by displaying in boards at consumer service related offices to bring awareness for consumer rights, standards of performance, compensation provisions, grievance redressal, measures for energy efficiency and any other schemes of the distribution licensee.

(iii) Following shall be inserted after Regulation 9.7

9.8 The distribution licensee shall make available manual of procedure for providing common services and handling customer grievances for reference of consumers at every office of the distribution licensee and downloadable from its website.

9.9 The distribution licensee shall arrange to display feeder wise outage data, efforts made for minimising outages, prevention of theft or unauthorised use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter and results obtained during the year, on its website.

9.10 whenever the existing meters are to be replaced by any new technology meters, the distribution licensee shall take adequate measures to create consumer awareness regarding the advantages of replacement of the existing meters. distribution licensee shall issue a public notice in at least four daily newspapers. such information shall also be displayed on the distribution licensee's website and the distribution licensee shall indicate the area wise schedule of dates for replacement of such meters.

5) Amendment in "Schedule–I Guaranteed Standards of Performance" of the Principal Regulations

Following shall be inserted after Clause 15 of Schedule-I:

15(a): Release of new electricity connection

	Nature of request	Timeline
i.	New connection/additional load where supply can be provided from existing network	Metro Cities: within 3 days from receipt of application complete in all respect in the appropriate form.
		Urban/Municipal areas: within 7 days from receipt of application complete in all respect in the appropriate form.
		Rural area: within 15 days from receipt of application complete in all respect in the appropriate form.
		Rural area of Islands: 30 days from receipt of application complete in all respect in the appropriate form.

ii.	Extension work or enhancement of transformer capacity is required/ extension of distribution mains, or commissioning of new substations.	The distribution licensee shall supply the electricity to such premises immediately after such extension or commissioning within a period not exceeding 90 days."

6) **Amendment in "Schedule–II Overall Standards of Performance" of the Principal Regulations**

(i) **Following shall be inserted after Clause 8 of Schedule-II:**

8 a Release of new electricity connection:

The Licensee Shall Achieve the Standards of Performance as Specified at sl. No. 15a of Schedule-I of these Regulations.

(ii) **Clause 15 of Schedule-II shall be substituted as under:**

15a the distribution licensee shall supply 24x7 power to all consumers. however, the commission may prescribe lower hours of supply for some categories of consumers like agriculture in business plan/tariff order.

15b there shall be a uniform system of recording and reporting of distribution system reliability performance. the same reliability indices shall be imposed on all licensees. the performance target levels set by the Commission shall be unique to each licensee to be based initially on the historical performance of licensee and the same shall be set in the Business Plan.

(iii) **Clause17 of Schedule-II shall be substituted as under:**

The licensee shall compute value of the distribution reliability indices viz. SAIFI, SAIDI, MAIFI, CAIFI and CAIDI separately for the Urban Area, Rural area as per the formula and methodology as specified at Sl. No. 18 in this Schedule.

The distribution licensee shall put in place a mechanism, preferably with automated tools to the extent possible for monitoring and restoring outages.

(iv) **Clause 18 of Schedule-II shall be substituted as under:**

18. The indices shall be computed for licensee as a whole by stacking, for each month all the 11kV feeders in the supply area and then aggregating the number and duration of all interruptions in that month for each feeder. The indices would then be computed using the following formulae:

a. $SAIFI = \sum_{i=1}^{n}(A_i \times N_i)/N_t$

b. $SAIDI = \sum_{i=1}^{n}(B_i \times N_i)/N_t$

c. $MAIFI = \sum_{i=1}^{n}(C_i \times N_i)/N_t$

d. $CAIFI = \sum_{i=1}^{n}(A_i \times N_i)/N_a$

e. $CAIDI = \sum_{i=1}^{n}(B_i \times N_i)/N_a$

where,

A_i= Total number of sustained interruptions (each longer than 3 minutes) on i^{th} Feeder for the month.

B_i= Total duration of all sustained interruptions (each longer than 3 minutes) on i^{th} Feeder for the month.

C_i= Total number of momentary interruptions (each less than or equal to 3 minutes) on i^{th} Feeder for the month.

N_i=Number of Consumers of i^{th} feeder affected due to each interruption.

N_t=Total number of Consumers at 11kV feeders in licensee's supply area.

N_a= Total number of Consumers at 11kV feeders in licensee's supply area who experience interruptions during the reported period

n = Number of 11 kV feeders in licensee's supply area (excluding agricultural feeders)

Note:

(a) The feeders must be segregated into Urban area and Rural area and the value of the indices must be reported separately for each month.

(b) Licensee shall propose the target level of these indices annually at the time of submitting ARR. The

Commission would thereafter notify these indices.

(v) Following shall be inserted after Clause 18 of Schedule-II

19. In view of the increasing pollution level particularly in the metros and the cities with a population 100,000 and above, the distribution licensee shall endeavor to ensure 24x7 uninterrupted power supply to all the consumers, to avoid running the diesel generator sets.

20. The consumers, who are using the diesel generator sets as essential back up power, shall endeavor to shift to cleaner technology such as renewable energy with battery storage etc., within five years from the date of commencement of these Regulations.

21. The process of giving temporary connections to the consumers for construction activities or any temporary usage and the like shall be simplified by the distribution licensee and connection shall be provided not later than forty-eight-hours and within seven days in case augmentation of the distribution system is required. This shall avoid any use of diesel generator sets for temporary activities in the area of the distribution licensee.

22. The temporary connection shall be through a pre-payment meter or through consumer meters as defined in the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations as amended from time to time.

7) AMENDMENT IN "SCHEDULE–III COMPENSATION" OF THE PRINCIPAL REGULATIONS

(i) Schedule-III shall be substituted as under:

In case of failure of licensee to meet the guaranteed Standards of Performance as specified in Schedule-I of these Regulations, compensation shall be payable to the consumer, as shown in the table below:

S.No.	Performance Parameters	Standard	Compensation payable to individual consumer in case of violation of Standard (default shall be considered from the time consumer has made complaint)	Automatic/Manual
I.	Billing of Consumers			
1.	Raising of Final Bill	Within 2 Billing Cycles	10% of the Billed amount subject to maximum of Rs. 500/-	Automatic
2.	In case Bills are raised even after disconnection on consumer's request		Rs 500/- for each case	
3.	Resolution of Billing Complaints	Resolve within 7 days of receipt of complaint, if no additional information is required. If required, within 7 days of receipt of additional information	Rs 100/- for each day of default	
4.	Consumer requiring upto date bill	Licensee to carry out special reading and prepare final bill within 7 days	Rs 100/- for each day of default	
II.	Transfer of consumer's connection and conversion of services			
5.	Change of consumer's name due to change in ownership/ occupancy for property	Within 2 Billing Cycles of acceptance of application	Rs 100/- for each day of default	Automatic
6.	Transfer of consumer's name to legal heir	Within 2 Billing cycles of acceptance of application		
7.	Load Reduction	30 days after receipt of the application		
8.	Change of Category	Within 10 days of acceptance of application		

9.	Shifting of Meter/Service Line etc.	Within 30 days of consumer depositing the estimated amount for which the licensee is allowed 30 days.		
III.	Release of new electricity connection			
10.	New connection/additional load where supply can be provided from existing network	Metro Cities: within 3 days from receipt of application complete in all respect in the appropriate form. Urban/Municipal areas: within 7 days from receipt of application complete in all respect in the appropriate form. Rural area: within 15 days from receipt of application complete in all respect in the appropriate form. Rural area of Islands: 30 days from receipt of application complete in all respect in the appropriate form.		
11.	Extension work or enhancement of transformer capacity is required/ extension of distribution mains, or commissioning of new substations	The distribution licensee shall supply the electricity to such premises immediately after such extension or commissioning within a period not exceeding 90 days.	Rs.200/- for. Each day of default	Manual
IV.	Disconnection/Reconnection of Supply			
12.	Request for reconnection	In case consumer requests for reconnection within a period of six months after dis-connection, the Licensee shall reconnect the consumer's installation within 7 days of payment of past dues and reconnection charges.	Rs 100/- for each day of default	Automatic
V.	Meter Complaints			
13.	Testing of Meter	Within 30 days of receipt of complaint	Rs 100/- for each day of default	Automatic
14.	Replacement of burnt meter	Within 6 hours of restoration supply by bypassing the burnt meter. Meter to be replaced within 15 days.		
15.	Replacement of defective meter	Within 15 days of declaring Meter defective after testing		
VI.	Power Supply failure			
16.	Fuse blown out or MCB Tripped (in case fuse or MCB belongs to Licensee i.e. pole or feeder pillar fuse)	Within 4 hours for Urban areas Within 12 hours in Remote areas.	Rs 40/- for each hour of default	Automatic
17.	Service line broken service line snapped from the Pole	Within 6 hours for Urban areas within 12 hours for		

		Rural areas		
18.	Fault in distribution line/ system	Rectification of fault and thereafter Restoration of normal power supply within 12 hours		
19.	Breakdown of underground Cables	Rectification within 24 hours		
20.	Distribution transformer failed/burnt	Replacement of failed transformer within 24 hours in Urban areas; Within 48 hours in rural areas; Within 60 hours in Remote areas.	Rs 300/- for each day of default	Automatic
21.	HT mains failed	Rectification of fault within 12 hours	Rs 400/- for each day of default	
22.	Problem in grid (11kV or 33kV or 66 kV) substation	Repair and restoration of supply within 48 hours		
23.	Failure of Power Transformer	As per 15.8 of Schedule-I	Rs 1000/- for each day of default	
VII.	Voltage fluctuation			
24.	Local problem on Transformer	Within 3 days	Rs 100/- for each day of default	Automatic
25.	Distribution network problem where no expansion on enhancement of network is involved	Within 15 days for LT System Within 30 days for HT System	Rs 200/- for each day of default	
26.	Distribution network problem, if upgradation of distribution system including erection and/or enhancing capacity of sub-station is required	Within 180 days	Rs 500/- for each day of default	

8) AMENDMENT IN "ANNEXURE- III" OF THE PRINCIPAL REGULATIONS

(1) S.No. 3 of Annexure-III shall be substituted as under:

(a) SAIFI						
Sl.No.	Month	N_i = Number of Consumers of i^{th} feeder affected due to each interruption	A_i = Total number of sustained interruptions (each longer than 3 minutes) on i^{th} feeder for the month	N_t= Total number of Consumers at 11kV feeders in licensee's supply (1)	$=\sum(A_i \times N_i)$ For all 11kV feeders excluding agriculture feeders (2)	SAIFI=(2)/(1)
	1					
	N					
	Total					

(b) SAIDI						
Sl.No.	Month	N_i = Number of Consumers of i^{th} feeder affected due to each interruption	B_i = Total duration of all sustained interruptions (each longer than 3 minutes) on i^{th} feeder for the month	N_t = Total number of Consumers at 11kV feeders in licensee's supply (1)	$=\sum(B_i \times N_i)$ For all 11kV feeders excluding agriculture feeders (2)	SAIDI=(2)/(1)
	I					
	N					
	Total					

(c) MAIFI						
Sl.No.	Month	N_i = Number of Consumers of i^{th} feeder affected due to each interruption	C_i = Total number of momentary interruptions (each less than or equal to 3 minutes) on i^{th} feeder for the month	N_t= Total number of Consumers at 11kV feeders in licensee's supply (1)	$=\sum(C_i \times N_i)$ For all 11kV feeders excluding agriculture feeders (2)	MAIFI=(2)/(1)
	I					
	N					
	Total					

(d) CAIFI						
Sl.No.	Month	N_i=Number of Consumers of i^{th} feeder affected due to each interruption	A_i= Total number of sustained interruptions (each longer than 3 minutes) on i^{th} feeder for the month	N_a= Total number of Consumers at 11kV feeders in licensee's supply area who experience interruptions during the reported period (1)	$=\sum(A_i \times N_i)$ For all 11kV feeders excluding agriculture feeders (2)	CAIFI=(2)/(1)
	I					
	N					
	Total					

(e) CAIDI						
Sl.No.	Month	N_i=Number of Consumers of i^{th} feeder affected due to each interruption	B_i = Total duration of all sustained interruptions (each longer than 3	N_a= Total number of Consumers at 11kV feeders in licensee's supply area who experience interruptions during	$=\sum(B_i \times N_i)$ For all 11kV feeders excluding agriculture feeders (2)	CAIDI=(2)/(1)

			minutes) on i^{th} feeder for the month	the reported period (1)		
	I					
	N					
	Total					

Note: The Distribution Licensee shall also upload such report on its website.

S.D.SHARMA, Secy. (I/C), JERC

[ADVT.-III/4/Exty./180/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2024.06.14 22:27:23 +05'30'